अस्वच्छ धन्धों में कार्यरत लोगों के बच्चों के प्रशिक्षण एवं स्व रोजगार नियम, 1989

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. उद्देश्य
4. पात्रता
5. बेरोजगार होने वाले परिवारों का सर्वेक्षण
6. प्रशिक्षण हेतु आवेदन
7. प्रशिक्षण हेतु जिलेवार गणना
8. प्रशिक्षण की व्यवस्था
9. प्रशिक्षण अवधि
10. प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवत्ति
11. अनुपस्थिति अवधि के लिए शिष्यवृत्ति में कटौति
12. प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति
13. स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रोत्साहन
14. स्वरोजगार हेतु अनुदान
15. आर्थिक अधोसंरचना की सुविधा
16. कच्चेमाल की पूर्ति अथवा तैयारमाल के विपणन की व्यस्था
17. अतिरिक्त व्यय की पूर्ति
18. योजना के क्रियान्वयन का दायित्व
19. योजना की मॉनिटरिंग
    - परिशिष्ट-1
20. स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण वाले रोजगार की सूची
    - परिशिष्ट-2
    - परिशिष्ट-3
    - परिशिष्ट-4

अस्वच्छ धन्धों में कार्यरत लोगों के बच्चों के प्रशिक्षण एवं स्व रोजगार नियम, 1989

अस्वच्छ धन्धों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिये स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रमांक एफ- 23-37-88-4-25 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1989

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ-(1) ये नियम मध्यप्रदेश अस्वच्छ धन्धो में कार्यरत लोगों के बच्चों के प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार नियम, 1989 कहे जायेंगे ।

(2) "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से ये नियम प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएँ-इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) राज्य शासन से तात्पर्य "मध्यप्रदेश शासन" से है ।

(2) कलेक्टर से तात्पर्य "जिले के कलेक्टर" से है ।

1. म० प्र० राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 29 जून, 1990 को पृष्ठ 213-25 पर प्रकाशित ।

(3) "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य उन जातियों से है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में मध्यप्रदेश राज्य अथवा मध्यप्रदेश राज्य के कतिपय जिलों हेतु अनुसूचित जाति के रूप में घोषित की गई है ।

(4) "अस्वच्छ धंधों" से तात्पर्य मैला ढोने, कच्चे चमड़े का कार्य करने अथवा इसी स्वरूप के अन्य कार्यों से है जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अस्वच्छ धंधा मान्य किया जाये ।

(5) "स्थानीय निकायों" से तात्पर्य नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद् विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि स्थानीय संस्थाओं से है ।

(6) "अस्वच्छ धंधों" में कार्यरत लोगों के बच्चों से तात्पर्य अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के पुत्र/पुत्री से है, जिसमें दत्तक पुत्र/पुत्री शामिल है ।

3. उद्देश्य-इस योजना का उद्देश्य अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों को शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने हेतु अथवा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देने और स्वरोजगार स्थापित करने में इनकी सहायता करना है ।

4. पात्रता-इस योजना का लाभ लेने हेतु अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

5. बेरोजगार होने वाले परिवारों का सर्वेक्षण - जिन स्थानीय निकायों द्वारा भंगी मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित किया जा रहा है, उन स्थानीय निकायों के सहयोग से भंगी मुक्ति कार्यक्रम के फलस्वरूप बेरोजगार होने वाले परिवारों का

सर्वेक्षण संलग्न परिशिष्ट-1 में किया जाएगा, इस सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा ।

6. प्रशिक्षण हेतु आवेदन - अस्वच्छ धंधों में कार्यरत परिवारों के बच्चों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्राम सूचना के प्रकाशन द्वारा भी आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे आवेदन-पत्र संलग्न परिशिष्ट-2 में आमंत्रित किये जायेंगे आवेदन-पत्रो का प्रदाय निःशुल्क किया जाएगा ।

7. प्रशिक्षण हेतु जिलेवार गणना - सर्वेक्षण एवं आम सूचना द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर जिलेवार यह गणना की जाएगी कि कितने बच्चों को किस-किस स्तर का प्रशिक्षण किस-किस ट्रेड में देना होगा, यह आंकलन प्रतिवर्ष माह अप्रैल, मई में किया जाएगा ।

8. प्रशिक्षण की व्यवस्था - प्रशिक्षण की व्यवस्था जनशक्ति नियोजन विभाग एवं आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों, मध्यप्रदेश खादी संस्था संघ आदि संस्थानों एवं निजी संस्थानों में किया जाएगा, इस हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं (ट्रायसेम, स्टेप-अप आदि) का लाभ भी उठाया जाएगा ।

9. प्रशिक्षण अवधि - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों में अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के लिये प्रशिक्षण की अवधि वही रहेगी जो इन संस्थाओं तथा विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं, अन्य राज्य स्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण की अवधि राज्य स्तर पर और जिला स्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण अवधि जिला स्तर पर क्रमश: संचालक, हरिजन विकास एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

10. प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवत्ति - प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार शिष्यवृत्ति देय होगी ।

11. अनुपस्थिति अवधि के लिए शिष्यवृत्ति में कटौति - अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के लिये शिष्यवृत्ति काटी जाएगी । यदि कोई प्रशिक्षणार्थी निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे शिष्यवृत्ति का भुगतान सम्बन्धित कलेक्टर लिखित कारणों से संस्था प्रमुख की सिफारिश पर निर्धारित अवधि के बाद भी देने संबंधी विशेष अनुमति दे सकेंगे ।

12. प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति - अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हीं दरों पर की जाएगी जिन दरों पर ट्रायसेम योजनान्तर्गत यह वर्तमान एवं समय-समय देय पर होगी । वर्तमान में प्रभावशील दरों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर दिया गया है ।

13. स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रोत्साहन - प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवक/युवतियों को जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहेंगे, उन्हें विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं तथा एकीकृत ग्रामीण विकास

कार्यक्रम, स्टेप-अप कार्यक्रम, जनशक्ति नियोजन विभाग की सुलभ ऋण योजना, बैंकों की स्टेप-अप योजना, उद्योग विभाग की सीयू योजना आदि का लाभ दिलाकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिये प्रेरित किया जाएगा ।

14. स्वरोजगार हेतु अनुदान - जिन स्वरोजगार योजना में वित्तदायी संस्थाओं शासन से ऋण का प्रावधान है, उनमें युवक/युवतियों को इतना अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा कि योजना के तहत सम्बन्धित विभाग/संस्था से उपलब्ध अनुदान राशि को मिलाकर कुल अनुदान राशि योजना की स्वीकृत कुल राशि (ऋण + अनुदान) की 50% हो जाये जो रुपये 10,000 प्रति युवक/युवती रहेगी ।

15. आर्थिक अधोसंरचना की सुविधा - यदि अस्वच्छ धंधों में कार्यरत परिवारों के युवक/युवतियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक अधोसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होगी तो विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण सुविधा का लाभ दिलाकर इस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी । यदि आवश्यक अधोसंरचना की सुविधा किसी प्रचलित योजना में उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो तो मध्यप्रदेश राज्य अत्यावसायी सहकारी विकास निगम के माध्यम से आवश्यक आर्थिक अधोसंरचना की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।

16. कच्चेमाल की पूर्ति अथवा तैयारमाल के विपणन की व्यस्था - अस्वच्छ धंधो में कार्यरत लोगों के युवक/युवतियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले स्व- रोजगारों हेतु कच्चे माल की पूर्ति अथवा तैयार किये गए माल के विपणन की व्यवस्था हेतु मध्य- प्रदेश खादी संस्था संघ या उनके समान अन्य संस्थाओं, म० प्र० अत्यावसायी सहकारी विकास निगम मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् तथा शासन अन्य विभागों के माध्यम से की जाएगी ।

17. अतिरिक्त व्यय की पूर्ति - यदि प्रशिक्षण पाने के इच्छुक युवक/युवतियों की संख्या प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटो की संख्या से अधिक होगी तो अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जायेगा, जिस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति इस योजना के बजट प्रावधान से की जाएगी ।

18. योजना के क्रियान्वयन का दायित्व - इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य स्तर पर हरिजन विकास संचालनालय के अधीन नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर कलेक्टर का होगा ।

19. योजना की मॉनिटरिंग - योजना की मोनिटरिंग एवं मूल्याँकन क्षेत्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास प्राधिकरण द्वारा किये जायेंगे ।

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मैला सफाई के कार्य में लगे हरिजन सफाई कामगारों को रोजगार आकांक्षा का सर्वेक्षण-परिवार साक्षात्कार अनुसूची-

(1) सामान्य जानकारी -

1. जिला .....
2. संभाग .....
3. साक्षात्कार दाता का नाम .....
4. पिता/पति का नाम .....
5. पता .....
6. लिंग पुरूष/स्त्री.....
7. वैवाहिक स्तर .....
8. जाति .....
9. आयु .....
10. शिक्षा .....
11. तकनीकी प्रशिक्षण यदि कोई हो .....
12. मैला सफाई के कार्य से प्राप्त आय .....
13. मैला सफाई के अलावा किये गये कार्य से आय .....
14. वार्षिक आय (पूरे परिवार की) .....

योग .....

15. मैला सफाई के साथ-साथ अन्य व्यवसाय (यदि कोई हो).....
16. परिवार संरचना (परिवार के सदस्यों का विवरण).....

क्र.	परिवार के सदस्यों का नाम	कर्त्ता से सम्बन्ध	लिंग	आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

वैवाहिक स्तर	शिक्षा स्तर	उपार्जनकर्ता या आश्रित	उपार्जनकर्ता का व्यवसाय	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीप- शिक्षा स्तर के कालम में अंकित सदस्यों के सम्बन्ध में उनके रिमार्क कालम में यह उल्लेख करें कि वे वर्तमान में स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल जा रहे हैं ।

17. मैला सफाई के कार्य में परिवार के कौन से सदस्य लगे हैं?

क्र.	सदस्य का नाम	लिंग	उम्र	शिक्षा	सफाई करने वाले घरों की संख्या	मासिक आय	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टीप- रिमार्क के कालम में यह अंकित करें कि मैला-सफाई का काम करने वाला व्यक्ति जागीरदारी प्रथा के अन्तर्गत कार्य करते हैं या नगर निगम/नगरपालिका के अन्तर्गत ।

18. क्या मैला-सफाई के कार्य को बदलना चाहते हैं?
19. आप स्वत: तथा परिवार के सदस्य इस मैला-सफाई के कार्य..... से मुक्त होने पर क्या कार्य करना चाहेंगे?

क्र.	नाम	लिंग	आयु	शिक्षा	आकांक्षित रोजगार			क्या आवश्यक होने पर शिष्यवृत्ति सहित निशुल्क प्रशिक्षण करेंगे हाँ/नहीं
					पहली पसंद	दूसरी पसंद	तीसरी पसंद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टीप-- कालम 6 तथा 7 में संलग्न सूची के अनुसार स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण वाले रोजगार के क्रमश: तीन नाम उत्तरदाता की प्राथमिकता के अनुसार अंकित करें ।

20. **स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण वाले रोजगार की सूची -** स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण वाले रोजगारों की सूची (अन्वेषक इसके अनुसार ही उत्तरदाता

की तीन प्राथमिकतायें अंकित करें,

प्रशिक्षण रहित स्वरोजगार

1. सूअर पालन
2. बकरी पालन
3. मुर्गी पालन
4. धुलाई तथा प्रेस
5. किराना दुकान
6. फेरी/ठेला
7. रेडीमेड कपडे की दुकान
8. स्टेशनरी की दुकान

प्रशिक्षण योग्य स्वरोजगार

1. भवन निर्माण (राजगीर मिस्री)
2. सुतारी
3. लुहारी
4. वेल्डर
5. शीट मेटल
6. मोल्डर
7. प्रिंटिंग/कम्पोजिंग
8. मशीन आपरेटर

9. चाय/नमकीन की दुकान
10. पान-बीड़ी की दुकान
11. रिक्शा
12. आटो रिक्शा
13. बैंड बाजा
14. साइकिल/रिक्शा मरम्मत दुकान
15. टायर ट्यूब वल्कनाईजिंग ।

9. टेलरिंग
10. फिटर
11. टर्नर
12. मशीनिस्ट
13. मोटर मैकेनिक
14. डीजल मैकेनिक
15. वायर मेन
16. इलेक्ट्रीशियन
17. शीघ्रलेखन (टायपिंग अंग्रेजी/हिन्दी)
18. चर्मकला
19. बुनाई
20. बेतबांस
21. मसाला पिसाई
22. तेलघानी
23. साबुन निर्माण
24. अगरबत्ती, दियासलाई तथा मोमबत्ती बनाना
25. कताई
26. पत्तल-दोना निर्माण ।

2. अन्वेषकों के लिये निर्देश-

(1) यह सर्वेक्षण प्रदेश के प्रत्येक नगरपालिका/निगम क्षेत्र के मैला-सफाई कामगार और उसके परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित है चाहे वे निजी जागीरदार प्रथा के अन्तर्गत मैला-सफाई का कार्य करते हैं अथवा नगरपालिका/नगर निगम के स्थाई/अस्थाई रोजदारी पर काम करते हों ।

(2) इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रथमत: यह जानना है कि मैला-सफाई के कार्य से मुक्त होने पर स्वयं मैला-सफाई कामगार और उसके परिवार के वयस्क सदस्य तथा पढ़ने वाले बच्चे कौन- सा रोजगार अपनाना चाहते हैं तथा द्वितीय इसके लिये वे रोजगार प्रशिक्षण लेना चाहते हैं अथवा नहीं ।

(3) अन्वेषक उनके रोजगार आकांक्षा का चयन संलग्न सूची से करें । रोजगार सूची के दो भाग हैं । एक स्वरोजगार की सूची और दूसरी प्रशिक्षण योग्य रोजगार को सूची अन्वेषक प्रत्येक सूची में से तीन-तीन रोजगार का अंकन उत्तरदाताओं की प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्राथमिकता मान कर करें ।

(4) जहाँ परिवार के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी जानकारी अंकित की जा रही है । कोष्ठक में यह स्पष्ट अंकित करें कि सम्बन्धी बच्चा अपनी पढ़ाई जारी रखे है अथवा पढ़ाई छोड़ चुका है ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरदाता श्री/श्रीमती..... तथा उनके परिवार का सर्वेक्षण उनके निवास स्थान पर किया गया ।

दिनांक :..... .....

निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर सर्वेक्षणकर्ता/अन्बेषक का नाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

विशेष प्रकोष्ठ

नागरिक अधिकार संरक्षण आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग "बी"

ब्लॉक, पुराना सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

विज्ञापन

अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों के बच्चों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना | "मध्यप्रदेश अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों के स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण नियम, 1989" के तहत अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों के सदस्यों से स्वरोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है जो अस्वच्छ धंधों में कार्यरत हों, बेरोजगार हो गए हों |

आवेदन पत्र निधार्रित प्रारूप में दिनांक ..... तक विभाग के जिला अधिकारी को भेजे जायें आवेदन-पत्र सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति, हरिजन एवं पि.वर्ग. कल्याण के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

संचालन

हरिजन विकास मध्यप्रदेश

परिशिष्ट 2-"ख"

आवेदन - पत्र

विषय-भंगी मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मुक्त हुए अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास |

1. प्रार्थी का पूरा नाम
2. पिता का नाम
3. जाति
   (प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
4. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
5. जन्म तिथि
   (प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
6. तकनीकी प्रशिक्षण
   (यदि कोई हो)
7. अस्वच्छ धंधे का विवरण-
   (अ) मैला ढोने का कार्य पूर्ण से छोड़ दिया गया है? (हां/नहीं)
   (ब) यदि नहीं तो क्या मैला ढोने का कार्य आंशिक या पूर्ण रूप में कर रहे है?
8. वर्तमान में क्या कार्य कर रहे है ? (पूर्ण विवरण दें).....

9. क्या आप स्वरोजगार योजना हेतु ऋण चाहते हैं? यदि हाँ तो नीचे दर्शाये व्यवसाय में से परिशिष्ट 2 अ' से तीन व्यवसाय का नाम दें ।

क्रमांक	व्यवसाय का नाम अथवा क्या आप व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो अपनी प्राथमिकतानुसार नीचे परिशिष्ट 2 'अ' में उल्लिखित ट्रेड में से किन्हीं तीन ट्रेड का नाम लिखें ।	ऋण की राशि

क्र.	व्यवसाय	प्रशिक्षण स्थल/आई०टी०आई० नाम	क्या आप आई०टी०आई० में प्रशिक्षण हेतु जा सकते हैं?
(1)	(2)	(3)	(4)

नोट- (1) कृपया अपनी रुचि के ट्रेड का उल्लेख करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि चाहे गये

ट्रेड की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आप में है एवं चाहा गया ट्रेड सम्बन्धित आई. टी. आई. में हैं विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 'अ' में देखें ।

(2) यदि प्रशिक्षणार्थी का शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास या कम है तो उसे विभागीय प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र में संलग्न परिशिष्ट 4 में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी चुने हुये व्यवसायान्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

(3) यदि आठवीं पास न हो तो निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी दें-

क्र०	व्यवसाय जिसमें प्रशिक्षण लेना चहेते है ?	विभागीय प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र का नाम जहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते है	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान.....

तिथि.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पूरा नाम.....

परिशिष्ट 2-"अ"

स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण वाले रोजगारों की सूची

(प्रार्थी इसके अनुसार ही तीन प्राथमिकताएँ अंकित करें)

प्रशिक्षण रहित स्वरोजगार	आई० टी० आई० में प्रशिक्षण व्यवसाय
1. सूअर पालन 2. बकरी पालन 3. मुर्गी पालन 4. धुलाई तथा प्रेस 5. किराना दुकान 6. फेरी/ठेला 7. रेडीमेड कपड़े की दुकान 8. स्टेशनरी की दुकान 9. चाय/नमकीन की दुकान 10. पान-बीड़ी की दुकान 11. रिक्शा 12. आटो रिक्शा 13. बैड बाजा 14. साइकिल रिक्शा मरम्मत दुकान 15. टायर ट्यूब बल्कनाईजिंग ।	(अ) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रार्थी हेतु- 1. भवन निर्माण 2. प्लम्बर 3. कारपेंटर 4. शीट मेटल 5. मेंन्यूफैक्चर आफ लेदर गुड्स 6. वेल्डर 7. मोल्डर 8. ड्रीइंग्स एवं केलिको प्रिटिंग 9. कटिंग एण्ड टेलरिंग 10. निटिंग 11. पैंटिंग एण्ड इंटीरियर डेकोरेट 12. ब्लेकस्मिथी (ब) हायर सेकेण्ड्री/इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण या इससे अधिक हेतु- 1. फिटर 2. टर्नर 3. मशीनिष्ट 4. मोटर मैकेनिक 5. डीजल मैकेनिक 6. ट्रेक्टर मैकेनिक 7. फर्मा मैकेनिक 8. हैण्ड कम्पोजीटर 9. ड्रेस मेकिंग 10. एम्ब्रायडरी 11. वायरमेन 12. प्रिंटिंग मशीन आपरेटर 13. विद्युत कार 14. टूल एण्ड डाई मेकर 15. शीघ्र लेखक (अंग्रेजी व हिन्दी)

परिशिष्ट 2- "ब"

सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ

(जनशक्ति नियोजन विभाग)

क्रमांक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	जिला	कुल स्वीकृत सीट्स	आरक्षण	
				अनु०जाति	अनु०जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	भोपाल संभाग				
1.	भोपाल	भोपाल	844	106	169
2.	भोपाल (क)	भोपाल	176	22	26
3.	बैतूल	बैतूल	208	26	42
4.	देवरी	रायसेन	72	9	14
5.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	280	35	56
6.	खिलचीपुर	राजगढ़	72	9	14
7.	सीहोर	सीहोर	72	9	14
8.	विदिशा	विदिशा	56	7	11
		योग	**1780**	**223**	**346**
	बिलासपुर संभाग				
9.	अंबिकापुर	सरगुजा	328	41	66
10.	कोनी	बिलासपुर	876	110	175
11.	रायगढ़	रायगढ़	264	33	53
		योग	**1468**	**184**	**294**
	चम्बल संभाग				
12.	भिंड	भिंड	220	20	44
13.	मुरैना	मुरैना	160	20	32
		योग	**380**	**40**	**76**
	ग्वालियर संभाग				
14.	दतिया	दतिया	44	6	9
15.	ग्वालियर (पुरुष)	ग्वालियर	508	64	102
16.	ग्वालियर (महिला)	ग्वालियर	208	26	42
17.	राधोगढ़	गुना	80	10	16
18.	शिवपुरी	शिवपुरी	312	39	62
		योग	**1152**	**145**	**231**
	इंदौर संभाग				
19.	खंडवा	खंडवा	440	55	88
20.	इंदौर	इंदौर	764	96	153
21.	इंदौर (पी०एच०सी०)	इंदौर	64	8	13
22.	झाबुआ	झाबुआ	104	18	21

23.	खरगोन	खरगोन	64	8	13
24.	नेपानगर	खंडवा	64	8	13
		योग	**1500**	**193**	**301**
	जबलपुर संभाग				
25.	बालाघाट	बालाघाट	304	38	61
26.	छिंदवाडा	छिंदवाडा	304	48	77
27.	जबलपुर	जबलपुर	1024	128	205
28.	जबलपुर (महिला)	जबलपुर	208	26	42
29.	कटनी	जबलपुर	72	9	14
30.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	48	6	10
31.	सिवनी	सिवनी	61	8	13
		योग	**2021**	**263**	**422**
	रायपुर संभाग				
32	भिलाई	दुर्ग	688	86	188
33.	भिलाई (महिला)	दुर्ग	96	12	12
34.	दुर्ग	दुर्ग	72	9	11
35.	माना	रायपुर	198	54	85
36.	राजनांदगावं	राजनांदगावं	56	7	14
		योग	**1110**	**168**	**310**
	सागर संभाग				
38.	छतरपुर	छतरपुर	64	8	18
39.	दमोह	दमोह	72	9	14
40.	पन्ना	पन्ना	64	8	18
41.	सागर	सागर	264	38	58
42.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	72	9	14
		योग	**536**	**72**	**122**
	उज्जैन संभाग				
43.	देवास	देवास	212	27	42
44.	मंदसौर	मंदसौर	290	25	10
45.	रतलाम	रतलाम	348	44	70
46.	शाजापुर	शाजापुर	80	10	16
47.	उज्जैन	उज्जैन	312	39	62
48.	उज्जैन (महिला)	उज्जैन	128	16	26
		योग	**1370**	**161**	**226**
	रीवा संभाग				
49	रीवा	रीवा	444	56	89
50	सतना	सतना	296	37	59

51	सिंगरोली	सीधी	296	37	59
52	शहडोल	शहडोल	104	51	87
		योग	**1140**	**181**	**294**
	संभागवार संक्षेपिका				
1.	भोपाल		1780	223	346
2.	बिलासपुर		1468	184	294
3.	चम्बल		380	40	76
4.	ग्वालियर		1152	145	231
5.	इंदौर		1500	193	301
6.	जबलपुर		2021	263	422
7.	रायपुर		1110	168	310
8.	सागर		536	72	122
9.	उज्जैन		1370	161	226
10.	रीवा		1140	181	294
		योग	**12457**	**1630**	**2622**

परिशिष्ट 2 “ब"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

क्रमांक	नाम	आदिम जाति कल्याण द्वारा संचालित
1.	कोरवा (बिलासपुर)	536
2.	कोरवा (बिलासपुर) महिला	48
3.	धामनोद (धार)	360
4.	बस्तर (बस्तर)	344
5.	बचेली (बस्तर)	144
6.	बैहर (बालाघाट)	144
7.	डोडीलोहारा (दुर्ग)	120
8.	गोदम (बस्तर)	60
9.	पीथमपुर (धार)	60
10.	मंडला (मंडला)	280
11.	अंबिकापुर (सरगुजा) महिला	48
12.	छिन्दवाड़ा, महिला	48
13.	कांकेर (बस्तर)	48
14.	सिधाना (धार)	48

(क) गैर इंजीनियरिंग व्यवसाय (ख) इंजीनियरिंग व्यवसाय

(एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	दो वर्ष	एक वर्ष
मुद्रलेखन	इलेक्ट्रिशियन	डीजल मैकेनिक
मुद्रण	फिटर	ट्रैक्टर
कटिंग टेलरिंग	टर्नर	वेल्डर
बुनाई	वेल्डर	शीट मेटल
फूड प्रिजर्वेशन	मशीनिष्ट	सुतारी
	मोटर मैकेनिक	लुहारी
	भवन निर्माण	पम्प मैकेनिक
	रेडियो मैकेनिक	मोटर साइकल मरम्मत
	वायरमेन मोटर	केमिकल आपरेटर
	मानचित्रकार (सिविल)	मोल्डर
	मानचित्रकार (मैकेनिकल)	भारी वाहन चालक

परिशिष्ट 3

(अ) शिष्यवृत्ति की दरें-

1. अपने निवास स्थान के ग्राम।शहर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को — रु० 250 प्रतिमाह
2. अपने निवास स्थान से 8 किलोमीटर अथवा अधिक दूरी पर स्थिति ग्रामाशहर के प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों. को-
   - (क) शासकीय छात्रावास सुविधा प्राप्त होने पर — रु० 250 प्रतिमाह
   - (ख) शासकीय छात्रावास सुविधा प्राप्त न होने पर — रु० 300 प्रतिमाह

(ब) प्रशिक्षण दिलाने वाली निजी संस्थानों, अर्द्धशासकीय संस्थानों को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति की दरें-

1. प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह दिया जाने वाला मानदेय	रु० 75/-
2. निजी प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को प्रति प्रशिक्षणार्थी मानदेय	
(क) 5 प्रशिक्षणार्थी तक प्रति प्रशिक्षणार्थी	रु० 50/-
(ख) 5 से 10 प्रशिक्षणार्थी तक प्रति प्रशिक्षणार्थी	रु० 40/-
3. प्रशिक्षण सत्र हेतु टूल किट हेतु भत्ता	रु० 500/-
4. प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स के लिये प्रति प्रशिक्षणार्थी कच्चे माल हेतु भत्ता	रु० 40 प्रतिमाह अधिकतम 350/-
5. प्रशिक्षण अवधि में निर्मित सामान के विक्रय से प्राप्त राशि का वितरण	50 प्रतिशत प्रशिक्षक को एवं 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी की |

परिशिष्ट-4

अनसूचित जनजातियों के लिए संचालित प्रशिशण-सह-उत्पादन केन्द्रों की सूची तथा व्यवसायवार सीटें

अनु. क्र.	केंद्र का नाम	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत सीटें
1.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, झाबुआ	काष्ठकला	12
	सिलाई (कन्या) - 12	गुड़िया	12
	सुतारी - 12	ब्रशनिर्माण कार्य	12
	हस्तकरघा - 12	राजगिरी	84
2.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बड़वानी (खरगोन)	काष्ठकला	12
		सुतारी	12
		सिलाई	12
		हस्तकरघा	12
			48
3.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, राबटी (रतलाम)	सिलाई	12
4.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, अम्बिकापुर, सरगुजा	काष्ठकला	12
		सिलाई	12
		सुतारी	12
		राजगिरी	12
		हस्तकरघा	12
			60
5.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, मण्डला	काष्ठकला	12
		सुतारी	12
		सिलाई	12
		हस्तकरघा	12
		बेंत एवं बाँस	12
		हस्तकरघा	12
		राजगिरी (2)	24
		रेशा उद्योग	12
		धातु शिल्प	12
			108
6.	प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र, डिंडोरी (मण्डला)	कष्ठकला	12
		सिलाई	12
			24
7.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, अमरकंटक (शहडोल)	रस्सी उद्योग	12
8.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बेहर (बालाघाट)	सिलाई	10
		कष्ठकला	10
		सुतारी	10

		राजगिरी	20
			50
9.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, सीधी	कष्ठकला	12
		सुतारी	12
		सिलाई	12
		राजगिरी	12
			48
10.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, कांकेर (बस्तर)	सिलाई	10
11.	प्रशिक्षण-सह उत्पादन केन्द्र, नारायणपुर	कष्ठकला	10
	(बस्तर)	राजगिरी	10
			20
12.	प्रशिक्षण-सह उत्पादन केन्द्र, दन्तेवाड़ा (बस्तर)	कष्ठकला	10
13.	प्रशिक्षण-सह उत्पादन केन्द्र, जशपुरनगर	कष्ठकला	12
	(रायगढ़)	सिलाई	24
			36
14.	प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र, डोंडोलोहारा	कष्ठकला	12
15.	चटाई-बुनाई केन्द्र, नारायणपुर	चटाई-बुनाई	20
			544

वर्ष 188-89 व्यवसाय

क्र०	**केंद्र का नाम**	**सुतारी**	**सिलाई**	**चर्मकला/ चर्मशोधन**	**शीटमेटल**	**लुहारी**	**हाथकरधा**	**मेसनरी**	**बेंतवास**	**योग**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केंद्र-										
1.	भोपाल	11	...	...	...	...	...	...	...	11
2.	सागर	...	11	...	...	12	9	...	...	32
3.	भिंड	...	...	...	...	..	...	...	...	...
4.	सारंगगढ़	7	12	6	...	...	6	...	9	40
5.	बड़नगर	...	12	...	...	...	...	...	...	12
6.	मदिहपुर	...	...	15	...	...	...	...	...	15
7.	अशोकनगर	...	...	24	...	...	...	...	...	24
8.	शाजापुर	...	...	12	...	...	...	...	...	12
9.	नागौद	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.	मुंगावली	...	12	...	...	...	11	...	...	23
11.	सरिया	...	...	...	...	...	4	...	...	4